

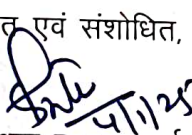
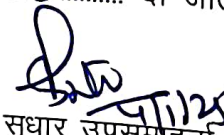
न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(a) के अन्तर्गत
अभिलेख संख्या-25/2024-25

—: आदेश :—

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या तौर तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
04/08/25	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) 1. मुकुंद कोरा पिता-स्व0 हरि कोरा, 2. श्रीष्टीधर कोड़ा, 3. बिरु कोरा, 4. कौलाश कोड़ा तीनों के पिता-स्व0 जय कोरा, जाति-कोड़ा (मोदी), ग्राम-कौशीझरिया, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-काशीझरिया, थाना नं0-138, पुराना खाता नं0-216, नया-129, पुराना प्लॉट नं0-2122, नया-2429, रकवा-50 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 362/भू0सु0, दिनांक 05.08.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2138 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री की जानेवाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान हरि कोड़ा, झरि कोड़ा एवं शम्भु कोड़ा के नाम से दर्ज है। 2. भूमि खतियान से प्राप्त है, रैयत से विक्रेता का संबंध 1 नं0 दाता स्वयं और 2, 3 एवं 4 दाता के पिता है। 3. पंजी II रैयत से विक्रेता का संबंध 1 नं0 दाता स्वयं और 2, 3 एवं 4 दाता के पिता है। 4. (क) विक्रेता ग्राम-काशीझरिया, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो का मूल निवासी है। (ख) क्रेता ग्राम-काशीझरिया, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो के मूल निवासी है। 5. विक्रेता एवं क्रेता (ST मामले में) एक ही थाना क्षेत्र के हैं एवं बिक्री की जानेवाली भूमि उसी थाना क्षेत्र में है। 6. विक्रेता एवं क्रेता (SC & OBC मामले में) लागू नहीं है। 7. विक्रेता एवं क्रेता दोनों कोड़ा (मोदी) जाति के हैं, जो अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/ धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 1 एकड़ 50 डी0 भूमि अवशेष बचता है। 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल 14 एकड़ 86 डी0 भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमि हीन नहीं होंगे। 13. विक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि खतियान से प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 1/128 पर जमाबंदी जयलाल मोदी दीगर के नाम पर कायम है। लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं0-1, पृष्ठ सं0-128 में है। 15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किरम पुरातन पतित है। 18. आवेदक को मौजा-काशीझरिया, थाना नं0-138, पुराना खाता नं0-216, नया-129, पुराना प्लॉट नं0-2122, नया-2429, रकवा-50 डी0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के दिप्पणी तारीख
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० क्रमशः JHLRCO/2023/839604 दिनांक 23.02.2024, JHLRCO/2023/839571 दिनांक- 23.02.2024, JHRC/2021/204749 दिनांक 28.07.2021, JHLRCO/2022/649959 दिनांक 28.11.2022 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHLRCO/2024/645124 दिनांक 23.08.2024 की छायाप्रति अभिलेख मेंसंधारित है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक मेंछोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(a) के तहत आवेदक (विक्रेता) 1. मुकुंद कोरा पिता-स्व० हरि कोरा, 2. श्रीष्टीधर कोड़ा, 3. बिरु कोरा, 4. कौलाश कोड़ा तीनों के पिता-स्व० जय कोरा, जाति-कोड़ा (मोदी), ग्राम-काशीझरिया, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-काशीझरिया, थाना नं०-138, पुराना खाता नं०-216, नया-129, पुराना प्लॉट नं०-2122, नया-2429, रकवा-50 डी० भूमि (क्रेता) मीना देवी पति-वकील कोरा मोदी, जाति-कोड़ा (मोदी), ग्राम-काशीझरिया, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को बिक्री करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित,  भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	अंचल चास C.C. 2844 24 9/11/25